COURT OF DISTRICT & ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-II, JAMUI

Probate case no.-12/2019

19.03.2026 आवेदक अनुपस्थित है। विपक्षी की वकालतन हाजरी है। वाद पुकारा गया।

पुकार पर आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता उप0 हुए।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वाद आवेदक साक्ष्य पर नियत है। परंतु आवेदक न तो उचित पैरवी कर रहे है और न ही साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे है। आवेदक जानबुझकर इस वाद के कार्यवाही को बाधित कर रहे है। उचित आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया। सुना।

अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि यह वाद विगत कई तिथियों से आवेदक साक्ष्य पर नियत है। न्यायालय के बार–बार निर्देश के बाबजूद आवेदक के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। आवेदक विगत कई तिथि से अनुपस्थित है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को इस वाद में अब कोई रूचि नहीं है।

अतएव इस Probate वाद को न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने एवं अदम पैरवी के अभाव में **खारिज** किया जाता है। कार्यालय अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करे।

लेखापित

DASJ II

webpage